राजस्थान-भरकार कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) विक्त भवन, जनपथ, विधानसभा के पास, जयपूर

第41 - 1272

दिनांकः **- २** • ७ • १ ६

> विषयः श्रीमान प्रमुख शास्त्रेन सचिव (वित्त) महोदय द्वारा दिनांक 18.06.2016 को ली गर्यः विभागीय समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना कशने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 18.06.2016 को श्रीमान प्रमुख शासन सविव, (वित्त) महोदय की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में श्रीमान प्रमुख शासन राचिव महोदय द्वारा साधारण बीमा निधि योजनाओं से सम्बन्धित जो निर्देश प्रदान किये 1ये है, उनकी पालना में विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा निम्नांकित कार्यवाही की जानी है:--

- (1.) विभिन्न समूह व्यक्तिगत दुईटना कीमा योजनाओं तथा विद्यार्थी सुरक्षा दुईटना कीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयावधि में दावों का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जावे। दावा प्रपन्न अथवा उसके साथ संलग्न दरतावेणों में कोई कमी रहने पर व्यक्तिगत प्रयास कर कमी की पूर्ति करायी जावे।
- (2.) दावेदार एवं बीमित के विभाग से किसी प्रपन्न / दस्तावेज में रही कमी को पूर्ण कराने के लिए दूरभाष वार्ता / मोबाइल मैसेज कर प्रयोग किया जावे। इस क्रम में दावेदार एव बीमित के विभाग में सम्बन्धित व्यक्ति के मोबाइल नम्बर भी पत्रावली में अंकित किया जागा उदिल होगा।
- (3.) पोंलिसी शतौं के अनुसार दावा निस्तारण की कार्यवाही की जावे। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित संग्भागीय अधिकारी, साधारण बीमा निधि मुख्यालय में सम्बन्धित अधिकारी सं दूरभाध वार्ता किया जाना खयित होगा।
- (4.) साधारण बीमा निधि योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु सूचना/शिक्षण/सम्प्रेषण सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जावे। योजनाओं के प्रचार हेतु कार्य-योजना तैयार की जावे। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना (राजकीय विद्यालय) के प्रचार-प्रसार हेतु इस कार्यालय द्वारा पूर्व में ग्रोशर्स उपलब्ध कराये जा चुके हैं। अनुदानित / गैर अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत छन्त्र/छान्नाओं के दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित सामग्री भी उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना एवं समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित परिपत्र पूर्व में भी जिला कार्यालयों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं, जिनका उपयोग योजनाओं के प्रचार-प्रसार में किया जावे।
- (5.) राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के बीगा के लिए शिक्षा निदेशालय से एकमुश्त प्रीमियम विभाग को प्राप्त होता है किन्दु राजकीय विद्यालयों के अलिरिक्त अन्य शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को दर्घटना बीगा की परिधि में

लाने एवं इस योजना का अधिकाधिक प्रसार करने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं / प्रबन्ध समितियों के समक्ष प्रजेंटेशन दिये जावें एवं शिक्षण संस्थाओं के साथ बैठकें आयोजित की जावें। इस सम्बन्ध में एक पृष्ठीय ब्रोशर तैयार कर शीघ्र ही भिजवाया जा रहा है।

- (6.) विभिन्न निजी विद्यालयों / महाविद्यालयों (यथा नर्सिंग, तकनीकी तथा वेटरिनरी आदि) में सम्पर्क कर उनके विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा किया जावे। प्रत्येक जिला कार्यालय द्वारा इस वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के दुर्घटना बीमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः व्यक्तिगत प्रयास कर अधिकाधिक शिक्षण संस्थाओं को इस योजना से जोडा जावे।
- (7.) साधारण बीमा निधि योजनाओं की बैलेंस शीट (वर्ष 2015–16 तक) से सम्बन्धित आंकडे जिन कार्यालयों द्वारा साधारण बीमा निधि कार्यालय को अब तक प्रेषित नहीं किये गये हैं उनके द्वारा शीघ्र ही निर्धारित प्रपन्नों में आंकडे साधारण बीमा निधि कार्यालय को मिजवाना सुनिश्चित किया जावे।
- (8.) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं / विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना योजनाओं में दावा निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह जिला कार्यालयों द्वारा साधारण बीमा निधि को उपलब्ध करायी जाती है। इसके अन्तर्गत बकाया दावों की सूची में विवरण के अन्तर्गत दावा बकाया रहने का कारण पूर्ण रूप से अंकित किया जावे तथा इस सम्बन्ध में जिला कार्यालय द्वारा किये गये प्रयास का विवरण भी अंकित किया जावे।
- (9.) श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में जिला कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से साप्ताहिक रूप से (प्रत्येक बुधवार) ई—मेल के माध्यम से साधारण बीमा निधि कार्यालय की आवश्यक रूप से अवगत कराया जावे।

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव (वित्त) महोदय द्वारा ली गई बैठक दिनांक 18.06.2016 का कार्यवाही विवरण वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) द्वारा पत्र क्रमांक F.3/Vigilance/Monitoring/SIPF/2016-17/1136-1211 दिनांक 22.06.2016 द्वारा आपको पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है। सुलभ संदर्भ हेतु इस कार्यवाही विवरण की प्रति पुनः संलग्न की जा रही है।

संलग्नः – उपरोक्तानुसार

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (साधारण बीमा निधि) वित्त भवन, जयपुर क्रमां कः

दिनांकः

प्रतिलिपि सूचनार्थः

- (1) वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- (2.) श्री शिशिर कुंशार चतुर्वेदी, अतिरिक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर, राजस्थान को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- (3.) श्रीमती संतोष अमिषाभ, संयुक्त निदेशक (संतर्कता), राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

(किशना राभ ईशरवाल) वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (साधारण बीगा निधि) वित्त भवन, जयपुर

कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग. (सामारण मीमा निधि) विक्त भवन, डी—ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

अनुदानित एवं गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के लिए विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

- गोजना :- राज्य के अनुदालित एवं गैर अनुदानित विद्यालयों, महारियालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों की दशा में विद्यार्थियों के माता/पिता/संरक्षक को बीमा लाभ उपलब्ध कराने के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 से दो पॉलिसियाँ-(1) श्रेणी प्रथम, प्रीमियम 50/- रूपये एवं (2) श्रेणी द्वितीय, प्रीमियम 25/- रूपये जारी की जा रही है। उपरोक्त दुर्घटना बीभा योजनाएं शिक्षण संस्थाओं से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय में प्रीमियम प्राप्ति दिनांक से एक वर्ष हेतु प्रमावी होगी तत्पश्चात आगामी वर्ष हेतु प्रीमियम प्राप्त होने पर नवीनीकरण किया जाएगा।
- 2. योजना के सम्बंध में महत्वपूर्ण बिन्दु :--
- योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विमाग (साधारण बीमा निधि) के जिला कार्यालय द्वारा किया जावेगा।
- (ii) इस योजना के अन्तर्यत श्रेणी प्रथम की पॉलिसी हेतु प्रीमियम राशि 50 / रूपये (मय सेवाकर) प्रति विद्यार्थी तथा बीमाधन 1,00,000 / – रूपये है। श्रेणी हिसीय की पॉलिसी हेतु प्रीमियम राशि 25 / – रूपये (मय सेवाकर) प्रति विद्यार्थी तथा बीमाधन 50,000 / – रूपये है।
- (iii) जिला कार्यालयों को प्रीमियम प्राप्त होने की दिनांक से पॉलिसी एक वर्ष के लिए प्रमावी रहेगी तथा उसके पश्चात इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा।
- (iv) विद्यार्थी की मृत्यु अधवा पॉलिसी में उल्लेखित क्षतियों की स्थिति में पॉलिसी के प्रभावी रहने की अवस्था में भारत में किसी भी स्थान और समय पर दुर्घटना घटित होने पर योजना का लाम देय होगा।
- (V) इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली शिशि अन्य किसी भी विधि विधान के अन्तर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होगी।
- (vi) मृत्यु अधवा शारीरिक क्षति दोनों प्रकार के दावों में दावा राशि विद्यार्थी के माता/मिता/संरक्षक एवं छात्र/छात्रा के विवाहित होने की स्थिति में पति/पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) को देव होगी।
- (vii) राज्य सीमा एवं प्रावधायी निश्चि (साधारण बीमा निश्चि) दिभाग के संयुक्त / उप / संहायक निदेशक कार्यालय जिला स्तर पर स्थित है। समस्त दावों का निस्तारण एवं पॉलिसी जारी करने की प्रक्रिया जिला कार्यालयों द्वारा की जावेगी।
- (viii) विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये दावों का मुंगतान दावेदार के बैंक खाते में किया जावेगा।
- (ix) दावा प्रपन्न मय दस्तावेज दुर्घटना की तिभि के छः भाह के अन्दर दावेदार द्वारा पूर्ति कर शिक्षण संस्था के प्राचार्य के माध्यम से इस विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- (x) दावा प्रपत्र के साथ मृत्यु की स्थिति में पुलिस एफआईआर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं क्षति की स्थिति में एफआईआर, ईलाज का विवरण, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज संलग्न किये जावे। इसी प्रकार चिकित्सा पुनर्भरण के प्रकरणों में मेडिकल बिल मी संलग्न किये जावे।
- (XI) पॉलिसी अवधि में एक से अधिक दुर्घटना के होने भर बीमाधन से अधिक राशि का मुगतान नही किया जावेगा।
- (xii) पॉलिसी अवधि के बीच में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी के लिए पूरी प्रीमियम सरि जमा करायी जावेगी।
- (Xiii) उक्त बीमा योजनान्तर्गतं श्रेणी प्रथम एवं श्रेणी द्वितीय हेतु पृथक-पृथक अण्डरराईटिंग रजिस्टर एवं क्लेम रजिस्टर संघारित किये जाएंगे।
- (xiv) विमाग द्वारा परिपूर्ण दावा प्रथन्न प्राप्त होने से 30 दिवस में प्रकरण निस्तारित किया जाएगा।
- (xv) योजना में लाभ दुर्घटना में सति/मृत्यु की दिशा में ही देय है। अतः दुर्घटना के स्पष्ट साक्ष्य तथा क्षति/मृत्यु का प्रत्यक्ष/आसन्त (Proximate) कारण दुर्घटना ही है, सुनिश्चित होने के प्रश्वात ही प्रकरण में मुगतान देय होगा।

योजना किन पर लागू होगी :--

राज्य के समस्त अनुदानित / गैर अनुदानित नर्सरी से स्प्रेनियर सैकेण्डरी विद्यालय, समस्त राजकीय एवं निजी बी.एड. एवं एस.टी.सी. कॉलेज, समस्त राजकीय एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, समस्त राजकीय एवं निजी पॉलीटेक्नीक कॉलेज, समस्त राजकीय एवं निजी बेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, समस्त राजकीय, निजी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय आदि के विद्यार्थी पर योजना लागू होगी।

योजना हेतु विद्यार्थी की परिभाषा :--

विद्यार्थी से तात्पर्य घटना के दिन राजस्वान स्थित किसी भी अनुदानित एवं भैर अनुदानित विद्यालय महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान के नामांकन पंजिका में दर्ज विद्यार्थी से है। अनुदानित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थी एवं निजी संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनका प्रीयियम शिक्षण संस्था द्वारा इस दिमाग को प्रेषित किया गया है एवं शिक्षण संस्था द्वारा विभाय को प्रेषित सूची में जिनके नाम का उल्लेख है, योजना के अन्तर्गत शामिल हैं।

योजनास्तर्गत देय लक्ष :--

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अस्तर्गत दुर्घटना में विद्यार्थी की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षति की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया बावेगा। योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी ऐसी शारीरिक चोट से है, जो बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम (External, Violent Visible Means) द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। स्पष्टतः योजना के अन्तर्गत केवल उन्हों प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जिनमें मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति दुर्घटना से उत्पन्न हुई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मृत्यु/क्षति सीधा संबंध (Proximate Cause) दुर्घटना से होना चाहिए। विधार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना लाम मृत्यु होने अथवा निम्न प्रकार की क्षति होने पर देव होगा :--

6 N.	दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार	दुर्घटना पर देव लाभ/बीमाधन			
		श्रेणी प्रथम	श्रेणी द्वितीय		
		(प्रीषिधम 66 /)	(औमियम 26/− }		
ŧ.	दुईटना में मृत्यु हो जाने पर	100000 रूपये	50000 रूपये		
2.	दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों ऑखों या एक झय एवं एक	100000 জনবই	50000 रूपये		
	ऑख अध्यता एक पैर एवं एक ऑख अध्यता एक पर एवं एक हाथ की क्षरि पर				
3.	दुईटना में एक डाथ अध्ववा एक पैर अथवा एक ऑख की क्षति पर	50000 रूपये	25000 रूपये		
<u>4.</u>	उपरोक्त क्षति के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत विद्यार्थी	100000 रूपये	50000 कंपये		
) के सम्पूर्ण रूप से अयोग्य होने की दशा में		1		
5.	आंशिक सति की दशा में :				
	(अ) श्रवण शक्ति की क्षति की दशा में :				
)				
	(बानों कानों की झाँदी)	50000 रूपये	25000 जनये		
	2. अवण शक्ति की क्षति	0000 044	l		
	(एक कान की पूर्ण क्षति)	15000 रूपये	7500 रूपये		
	(ब) एक हाथ के अंगूहें एवं अंगुलियों की क्षति :	10000 004			
	 एक हाथ के अंगूठे एवं धारों अंगुलियों की क्षति 	1	4		
	(समस्त अंगुलस्थियों की मति)	- 40000 रूपये	20000 रूपये		
	 एक हाथ के अंगूठे के अतिरिक्त चारों अंगुलियों की क्षति 				
	(समस्त अंगुलस्थियों की श्वति)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	। १७५०० रूपये		
	(स) हाथ के अंगूटे की डाति :	35000 रूपये			
	1. हाथ के अंगूठे की क्षति				
	(दोनों अंगुलोंस्पर्यों की क्षति)	`	। 12500 জনব		
	2. हाथ के अंगूते की सति	25000 रूपये			
	(एक अंगुलस्थी की क्षति)		,5000 रूपये		
	(द) हाथ के अंगूठे के अतिरिक्त अन्य अंगुलियों की क्षरि	10000 रूपये			
	 किसी भी अंगुली की समस्त अंगुलस्थियों की क्षति पर 	10000 रूपये	6000 रूपये		
	 किसी भी अंगुली की दो अंगुलस्थियों की क्षति पेर 	8000 रूपये	4000 रूपये		
	 किसी भी अंगुली की एक अंगुलस्थी की क्षति पर 	4000 रूपये	्र २००० रूपमे		
	(य) पांच के अंगूते एवं अंगुलियों की क्षति की दशा में	4000 044			
	() दोनों पांचों की समस्त पावांगुलियों की क्षति]		
	(समस्त अंगुलस्थियाँ की शति)) 10000 रूपये		
	(11) पांव के एक अंगुठे की सति	20000 रूपये			
	(दोनों अंगुलस्थियों की क्षति)		2500 रूपरे		
	(111) पांव के एक अंगूडे की सति	5000 रबपये	2000 1110		
	(एक अंगूलस्थी की शति)		4000		
	 (iv) अंगुठे के अतिरिक्त पांव की एक अथबा अधिक अंगुलियों की हति 	2000 रूपये	[1000 रूपये		
	(iv) अगुठ क आतारका भाष का एक अधका आवक अगुलिया का दात (दोनों अंगुलस्थियों की क्षति)		600 tem)		
	(दाना अयुलास्थय) का खात)	1000 रूपये	, \$00 रूपये प्रति अंगुली		
	जलने पर क्षति :	प्रति अमुली	<u>ne aden</u>		
6.					
	(1) 60 प्रतिशत या अधिक जलने पर	60000 रूपये	26000 रूपये		
	(11) 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु ५० प्रतिशत से कम जलने पर	40000 रूपये	20000 रुपये		
_	(iii) 30 प्रतिशत से अधिक किन्तु 40 प्रतिशत से कम जलने पर	30000 रूपये	15000 ক্রমব্র		
7.	दुईटना के कारण आयी चोट के परिणामस्वरूप 24 घण्टे से अधिक	5000 रूपये	5000 रूपये		
	विकित्सालय (सरकारी या प्राईवेट) में मती रहने पर संबंधित डॉक्टर या		1		
	चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं दयाई के बिल प्रस्तुत करने पर		1		
	निम्नानूसार लाग देय है।				
नोट	छल्ल योजना में पीलिसी अवधि के अन्तर्गत चिन्न राशि से अधिक लोग देव नहीं होगा।	100000 रूपये	50000 रूपर्य		

इस योजना के अन्तर्गत हाय की भति से आंगय कलाई अथवा इसके ऊपर से पार्थव्य होने से है। इसी प्रकार पेर की भनि से आजय पैर की एडी आधवा इसके ऊपर से पार्थवय होने से है।

योजना के अपग्रर्जन :--6.

योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से या बीमारी के कारण से होने वाली मृत्यु अधवा शारीड़िक सति भर इस पॉलिसी के अन्तर्गत किसी प्रकार का लाभ देव नहीं होगा। योजना के अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों में भी लाभ देव नहीं है 🛏

- इदय गति रूक जाने से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षति। क
- विभिन्न बीमारियों जैसे कैंसर, टी.बी. इत्यादि से होने वाली मृत्यु अववा अन्य क्षति। ख.
- आत्मसति, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, पागलपन अधवा किसी विद्यार्थी द्वारा नशीला दव्य के प्रयोग के प्रमाव से होने ग्. वाली खति।

- -

- धिकित्सा अधवा शल्य क्रिया के दौषल होने वाली सति। ų.
- नाभिकीय विकिरण अंचर्वा मरमाणविक अस्त्रों से होने वाली सत्ति। Ζ.
- युद्ध, विवेशी आक्रमण, मिदेशी शत्रु के कृत्यों, गृड युद्ध, देशदोह अथवा राष्ट्र विरोधी गरिविधियों से होने वाली भरि। विद्यार्थी द्वारा आपराधिक उदेश्य से विधि द्वारा निषासित कानून का उल्लंघन करते समय हुई मृत्यु अथवा क्षति। च.
- ₽.

विभाग के जिला कार्यालय के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में दावेदार द्वारा निर्णय की दिनांक से 3 माह की अवधि में निर्णय के रिव्यू / रिविजन हेतु निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रांध निध विभाग के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, जा सकेगर।



7.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN STATE INSURANCE & PROVIDENT FUND DEPARTMENT

F. 3/Vigilance/Monitoring/SIPF/2016-17/

Jaipur, dated: 22nd June 2016

Minutes of the review meeting of Si & PF Department taken by Principal Secretary Finance, on 18th June, 2016.

Principal Secretary Finance, held a review meeting of the State Insurance & P.F. Department on 18th June, 2016. The meeting was attended by Finance. Secretary (Expenditure), Director, SI & PF Department, Joint Secretary (I&P) and other officers of SI & PF Department as per list enclosed (Annexure-1).

At the outset, Finance Secretary (Expenditure) and Director, SI & PF Department apprised Principal Secretary Finance, about the status of various schemes run by the department, thereafter, agenda wise issues were taken up. After detailed deliberations on each agenda item, following directions were given by Principal Secretary, Finance:-

S.N.	Brief of decisions/directions	Officer Responsible for compliance / Remarks	
1.	Death Claims: All death claims of SI PF, GIS and NPS shall invariably be disposed off in the stipulated time lines. There shall be no delay in any case.	Incharges, Divisional & District Officers. Director,	
2,	 Maturity & Retirement Claims: (i) All maturity and retirement claims of SI, PF, <u>GIS</u> and NPS shall be disposed off in the stipulated time lines. (ii) <u>Claims Pending for want of claim forms</u>: In cases where the department has not received claim forms, the department may send registered letter, giving reference of rules and all previous letters to the concerned employee and department (DDO) to submit claim forms so that the due payment could be made to the concerned employee / nominee. 	- SI&PF shall apprise of the progress to FS (Exp.) every month by 15 th .	
3.	<u>Communication with claimant</u> : System generated SMS should be sent to the employees for submission of claim forms, intermediary stages and settlement of their claims. In cases of death claims, the SIPF Department should also telephonically apprise the nominee and concerned department so that there is no delay in settlement of the death claims.	Concerned Scheme Incharges, Divisional & District Officers and Additional Director (Systems)	
4,	General Insurance Scheme:(I)Publicity and IEC of the General Insurance Schemesi.e. SSI, Mediclaim, GPA, etc. An action plan for the publicity of the schemes shall be prepared.	Sr. Additional Director (GIS). Director, SIPF may review periodical progress and apprise FS (Expenditure).	
	(II) <u>Student Safety Insurance (SSI)</u> : With a view to enhance coverage of SSI, one pager brochure containing all important facts, should be prepared.	Sr. Additional Director (CIS), all Divisional & District Officers.	

		Officers of SIPF Department will contact the Head of educational institutions/management committee and give presentation before them regarding the scheme. For follow up, second meeting may also be organised with these institutions. In this regard, schedule of the first, second or third meeting, as the case may be, should be prepared and awareness campaign be launched by the SIPF Department.	· ·
	(8)	Coverage of Student Safety Insurance: At least	Sr. Additional Director
	-	100 private schools and colleges (viz. nursing, technical, veterinary etc.) shall be covered under the SSI in the current financial year. Every district office shall take up at least 3 educational institutions during the current financial year. SIPF officers shall contact the Head / management of the concerned institution to apprise the benefits of the scheme.	
	(iv)	Redesigning General Insurance Policies ; The General Insurance policies should be redesigned to keep them abreast of the latest developments in the sector and to compete with the private insurance companies. The GIS Cell may higher services of professional consultant who shall look into the business promotion, publicity material, IEC etc. Detailed proposals be put up.	Sr. Additional Director (GIS)
5.	Annua	I Closing of A/C's of the schemes:	Sr. Additional Director (SI)
	(i)	State Insurance: closing for the year 2015-16 to be completed by 30.09.2016	
	(1i) .	GPF: closing for the years 2012-13 to 2014-15 to be completed by 30.09.2016 and for the year 2015-16 by 31.12.2016.	Sr. Additional Director (PF) & Additional Director (Systems)
2	(iii) 	GIS: closing of the year 2012-13 to be completed by 30.09.2016 and 2013-14 to 2015-16 by 31.12.2016.	Sr. Additional Director (GIS). should put up proposals for engaging interns for finalisation of closing of the accounts.
6.	Balanc	e Sheets:	Sr. Additional Director (SI)
	(I)	State Insurance: Balance Sheets for the years 2014- 15 and 2015-16 shall be finalised by 30.09.2016.	s
	(ii)	General Insurance: Balance Sheets for the years 2012-13 to 2015-16 shall be finalised by 31.12.2016	Sr. Additional Director (GIS) should put up proposals for engaging interns/ professional experts to finalise the task in the time lines decided.

	·		<u>~</u>	5
		<i>.t.</i>	(<u>1</u> 3	5)
· -		• •		-
7	Remittance of NPS contribut	ion to Trustee Bank: The	Sr. Additional Director	· [
	contribution amount should b	e uploaded in the PFRDA	(NPS), all divisional &	
	architecture in the same month			
	no delay on this account.			i
	Legacy data must be cleared on	priority basis. The first list		
	of NPS contribution should co			
	employees. In this regard, FS		•	1
	SI&PF may discuss the issue of fi	· ·		ſ
_	-			
-	The Karnataka model of NP		•	<u> </u>
	proposals be put up for ada		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	transfer of funds to PFRDA arch			
,	Resolution of Grievances: PS			Į.
	registered on the Rajsampark Po			
	other mode must be accorded		Secretary, Finance (I&P)	
	within the prescribed time lin			ſ
	services of the SIPF Departmen	•	•	1
	the Rajasthan Guaranteed D	-	[ł
	(RGDPS) Act, 2011. The mal			
	Administrative Reforms Departm	tent for necessary action.	1	1
_	RTI Cases: Applications receive	d under the RT! Act should	All concerned Public	
1	be attended on priority basis	and required information	Information Officers (PIOs)	
	should be provided to the application	nts as per law,		
-	Pending DPCs: All pending DP	Cs should be completed by	Additional Director (Adm.)	
`	31.07.2016.	and and at completed of	reactional precion (risks)	
┥	Pending DEs: All pending DEs	should be semulated as		ł
L.	priority basis.	s should be completed on		i .
۱.	Suspension Cases: All suspension	n cases should be reviewed		ļ
Ì	as per rules.			ł
3,	Computerisation: As per the a	nnouncement made by the	Additional Director	1
	Hon'ble CM in Para-244 of But	get Speech 2016-17, the	(Systems) and officers of	ł
	work of computerisation of the D	1	DOIT&C shall chalk out a	ĥ
	on priority basis. To implement	the budget announcement,	plan in this regard and put	
	PSF directed as follows:-		up to Director, Si&PF who, in	
			turn, shall apprise of the	ĺ
]			progress to Finance	
			Secretary (Expenditure)	
			from time to time.	-
+	(i) Pilot Districts : Sawaim	dhopur district has been	Additional Director	!
	···	.06.2016. One district from	(Systems), DOIT&C, all	
	- •	taken up as pilot w.e.f.	divisional and district	
ł	01.8.2016.		officers.	
	₩ 2 1 × 100 ₩ 2 ₩4			
	(ii) All districts of the dep	artment shall be online		
Į		this regard, all necessary ;		
i				
	action shall be taken by	y SI&PF Department and		
		3		
		1		

÷.

		 DOIT&C to cover all the activities of the department. (iii) <u>Digitisation of Records</u>: Officers of the SI&PF Department raised the issue of record keeping. PSF directed that all record of the department should be digitised in a phased manner so that there is no complaint of missing of files of SI, GPF and gaps in ledgers. <u>A comprehensive work plan for digitisation of the records (files, ledgers etc.)</u> 		
		shall be prepared by the SI&PF Department and DOIT&C within 15 days time in such a way that the work of digitisation of record of the offices of Kota and laipur Divisions. in the first phase. Is completed before 13.12.2016 positively. A dedicated Nodal Officer at Headquarters shall be appointed by Director. SI & PF for close monitoring of the task.	-	
		(iv) With a view to generate awareness amongst all employees regarding online activities of the department, there should be proper publicity and IEC, for which SI&PF Department may hire services of a professional consultant.		
	-	(v) <u>E-Pass Book. E-Files. E-Signatures</u> : To complete the task of e-pass book/e-record book, e-files and e- signatures (digital signature, wherever required), SI&PF Department (Systems Cell) and DOFF&C shall prepare a comprehensive time-bound action plan and ensure it's completion accordingly.		-
	· .	 (vi) <u>Online system of receipt and despatch</u>: An online system of receipt and despatch shall be developed. All work of receipt and despatch shall be done online as per Counter System. Due date shall be determined as per the time lines prescribed in the Citizen Charter. 		
1	-	Wherever required, Systems Cell may involve other scheme incharges of the department.		
۲ ۱ ۱	14.	<u>Progress</u> under <u>Clearing House</u> : PSF directed that Clearing House is an important activity of the department, therefore, the disposal (transfer of accounts and files) should be 100%.	Sr. Additional Director (Vigilance), all divisional & district officers.	
	15.	Assembly Matters: PSF directed that all Assembly Questions, Calling Attention and other matters be replied in time. There should be no slackness on this account. However, PSF was apprised that no such matter is pending	Sr. Additional Director (Vigilance), all divisional & district officers.	

	<i>्</i> र्म		
•.		(P)	
		\bigcirc	
w	ith the department		
16. R	ecovery of due amount from M/S Re	eliance General Sr. Additional Director (GiS)	
	surance Co.: It was directed that all cas		
	e Courts be pursued by the Si&PF I		
	ststanding amount be recovered as pe	r rules / Court	
	rders		
17. 0	ther Important Directions:	Additional Director (Adm),	
0		district officers	
		ed to provide	
	modular furniture in a phased man phase, proposals for installing mod	: 1	
ſ	the offices of Kota Division, jaipu		
ļ	Divisions he prepared in consultation		
	be put up on file for approval of FD		
	program for installation of modular	furniture in the	
	above offices shall be prepared.		
0	 Laptops for Divisional & District the activities of the department a 		
]	online, the officers of the department		
	to provide Laptops to all the division	• • • •	
	officers, PSF agreed to provide 8 d		
	district offices (total 48). According		
	prepared and put up to PD on file for		
(11	 Training: For capacity building of the officers, proper training may be im 	•	
·	In the best institutions dealing wit		
	sector. Accordingly, a plan for training		
Í	building be prepared and put up.	· · · · ·	
(1)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Department may obtain official	· · ·	
(deputation from SpinFed and RTDC. list, based on requirement, be prepa		
	for approval of FD. Additional Direct		
	collect information of employees fro	om SpinFed and	
ł	RTDC whose services could be		
	department through reverse de districtwise list of vacant posts		
	Assistants (IAs) shall be subr		
	(Expenditure) for filling up the posts.		
	Disciplinary Action: All activities	s/work of the Additional Director (Adm),	
	department should be done in the p	prescribed time divisional & district officers.	
	lines. If there is a slackness on part disciplinant aption sciently he table		
ļ	disciplinary action should be initia concerned officials as per rules.	itett dienist (ite)	
(vi	<u> </u>	surles & Sub	
	Treasuries : The system of deputing		

.

भा पुःस . :

_.__

	Department to Treasuries and Sub Treasuries should be reviewed. Till a final decision is taken, officials should not be deputed in Treasuries and Sub Treasuries beyond a period of 2 days in a month.	
(vii) 	<u>Karattli Office</u> : For shifting of Karauli Office in a suitable building, a D.O. letter from PSF may be written to District Collector, Karauli requesting him to identify a suitable office which is not being used by any Government office. Nodal Officer for Karauli shall personally take up the matter with District	
-	Collector and apprise the progress to FS (Expenditure)/PSF. After identification of the building, necessary renovation work could be taken up by SI&PF Department.	

Director, SI & PF Department shall monitor implementation of the above decisions and apprise Finance Secretary (Expenditure) by 15th of every month.

The meeting ended with a vote of thanks to the chair.

[Ganesh Kumar Sharma) Sr. Additional Director (Vigilance)

F. 3/Vigilance/Monitoring/SIPF/2016-17/ 1/2 (- 141)

Dated: 22^{pd} June 2016

Copy forwarded to the following for information / necessary action:-

1. PS to the Principal Secretary, Finance for information

•2: PS to the Secretary (IT) & Commissioner, DOIT&C, Rajasthan

3. PS to the Finance Secretary (Expenditure) for information

4. PS to the Director, State Insurance & P.F. Department

5. Joint Secretary, Finance (I&P)

-6. Sr. Additional Director (Insurance/PF/NPS/General Insurance)

7. All Divisional Officers (Sr. Additional/Additional Director), SI & PF Department

8. Additional Director (Administration/ Legal/ Systems)

9. All District Officers (JD/DD/AD), SI & PF Department

10. Financial Advisor, SI & PF Department.

11. Sh. R.C. Sharma, Joint Director, DOIT&C, Jaipur (OIC, SIPF Portal Integration)

(Ganesh Kumar Sharma) Sr. Additional Director (Vigilance) State Insurance & P.F. Department Rajasthan, Jaipur

Annexure-1

S.N.	Name of Officer	Designation
1	Sh. D. B. Parmar	Sr. Add. Director, Udalpur
2	Sh. Abdul Razak	Sr. Add. Director, Insurance Scheme, HC
3	Sh, N. K. Surelia.	Sr. Add. Director, NPS, HO
4	Sh. Ganesh Kumar Sharma	Sr. Add. Director, Vigilance, HO
5	Sh, Kishna Ram Isharwai	Sr. Add. Director, GIS, HO
6	Sh, B. L, Sharma	FA, HO
7	Sh. Devendra Choudhary	Add. Director, Bikaner, Division
8	Sh. Laxman Meena	Add. Director, Ajmer, Division
9	Sh. D. L. Sherawat	Add. Director, System, HO
10	Sh. Amit Johari	Add. Director, Mediclaim
11	Smt. Marnta Singh	Add. Director, Jaipur Division II
12	Sh. Sunif Bansal	Add. Director, Jaipur Division I
13	Smt. Ritu Nanda	Add. Director, GIS, HO
14	Sh. Sanjay Bansal	Add. Director, Bharatpur Division
15	Sh. Sanjeev Parmar	Add. Director, NPS, HO
16	Ms. Pratibha Vyas	Add. Director, Legal & Training, HO
17	Sh. Rajbahadur Rajoria	Joint Director, Jalpur R
18	Smt. Santosh Amitabh	Joint Girector, CRS, HO
19	Sh. Lakshmi Narayan Bainya	Joint Director, Insurance, HO
20	Sh. B.N. Meena	Joint Director, Secretariat
21	Sh. Vijay Pareek	Joint Director, Estt., HO
22	Sh. Suresh Poohia	Joint Director, PF, HO
23	Sh. Chandan Singh	Joint Director, Jodhpur
24	Sont, Atika Azad	Joint Olrector, Kota
25	Sh. Yogmitra Dinkar	Joint Director, GAD, HO
26	Sh. Rampal Parsoiya	Joint Director, PRO & HO
27	Smt. Shipra Vikram	foint Director, Jaipur City
28	Sh. Rajesh Gupta	SA, System, HO
29	Sh. Rajkumar Shivani	Deputy Director, System
30	Sh, Suresh Chand Sharma	ALR, HO
31	Sh. R.C. Sharma	Joint Director, DOIT&C, Jaipur

List of SI & PF Officers who participated the review meeting taken by PSF on 18.06.2016